संख्या-73/176/47-का-3-2014-13/8/2012

प्रेषक,

योगेश्वर राम मिश्र
विशेष सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

प्रशासक
उ0प्र0 अधीनस्थ सेवा चयन आयोग,
पिकप भवन, पंचम तल, गोमती नगर,
लखनऊ।

कार्मिक अनुभाग-3 लखनऊ : दिनांक : 13 मार्च, 2014

विषय- वित्तीय वर्ष 2013-14 में अनुदान संख्या-20 लेखाशीर्षक-2051 लोक सेवा आोग-103-कर्मचारी चयन आयोग, आयोजनेत्तर-03-उ0प्र0 अधीनस्थ सेवा चयन आयोग में मद संख्या-15-गाड़ियों का अनुरक्षण और पेट्रोल की खरीद व्यय में धनराशि के पुनर्विनियोजन की स्वीकृति के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक, उ0प्र0 अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के पत्र संख्या-208/लेखा- आयोग /2013-2/1(29)/2013-165, दिनांक 27.11.2013 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय वित्तीय वर्ष 2013-14 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-20 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक-2051-लोक सेवा आयोग-103-कर्मचारी चयन आयोग, आयोजनेत्तर-03-उ0प्र0 अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के अन्तर्गत मद संख्या-05-स्थानान्तरण यात्रा व्यय रू0-1000/- मद संख्या-11-लेखन सामग्री और फार्मों की छपाई रू0-5,000/-, मद संख्या-16-व्यावसायिक और विशेष सेवाओं के लिए भुगतान रू0-5000/- तथा मद संख्या-45-अवकाश यात्रा व्यय रू0-30,000/- में उपलब्ध बचतों की कुल धनराशि रू0-41,000/- (रूपया इक्तालिस हजार मात्र) में से लेखाशीर्षक-2051-लोक सेवा आयोग-103-कर्मचारी चयन आयोग, आयोजनेत्तर -03-उ0प्र0 अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के अन्तर्गत मद संख्या-45-अवकाश यात्रा व्यय से रू0-10,000/- की उपलब्ध बचतों की धनराशि से मद संख्या-15-गाड़ियों का अनुरक्षण और पेट्रोल की खरीद व्यय मद में रू0-10,000/-(रूपये दस हाजर मात्र) की धनराशि पुनर्विनियोग के माध्यम से व्यय करने की सहर्ष स्वीकृति इस शर्त के अधीन प्रदान करते हैं कि स्वीकृत धनराशि का सम्पूर्ण उपयोग व्यावर्तन की मदों में इसी वित्तीय वर्ष 2013-14 में कर लिया जायेगा।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2013-14 की अनुदान संख्या-20 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक-2051-लोक सेवा आयोग-103-कर्मचारी चयन आयोग, आयोजनेत्तर-03-उ0प्र0 अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की सुसंगत इकाईयों/ मदों के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त विभाग की सहमति से जारी किए जा रहे हैं।

संलग्नक - प्रपत्र-बी.एम./9.

भवदीय

(योगेश्वर राम मिश्र)
विशेष सचिव।

2/-

http://sansadeen.up.nic.in

संख्या-73/176(1)/47-का-3-2014-13/8/2012, तददिनांक-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

(1) महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/ द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
(2) मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
(3) विशेष सचिव, वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-5.
(4) विशेष सचिव, वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2.
(5) अनुभागीय आदेश पुस्तिका।

आज्ञा से

(योगेश्वर राम मिश्र)
विशेष सचिव।

http://shsanadesh.up.nic.in

फार्म बी.एम.9(भाग-1)

पुनर्विनियोग की स्वीकृति के लिए आवेदन

(बजट मैनुअल का प्रस्तर-158 देखें)

(इस प्रपत्र को भरने से पूर्व पीछे छपे अनुदेशों को भली-भांति देख लिया जाय)

अनुदान संख्या व नामः अनुदान संख्या-20-कार्मिक विभाग(लोक सेवा आयोग) लेखाशीर्ष-2051-लो सेवा आयोग-103-कर्मचारी चयन आयोग-आयोजनेत्तर-03-उ0प्र0अधीनस्थ सेवा चयन आयोग।

(धनराशि हजार रूपयों में)

| निम्नलिखित निधियों से प्रस्तावित संक्रमण | | | | वित्त विभाग द्वारा भरा जायेगा | |
|---|---|---|---|---|---|
| लेखाशीर्ष(15डिजिट कोड में) आयोजनागत | आवेदन पत्र देने के दिनांक पर उपलब्ध अनुदान/विनियोग | आवेदन-पत्र देने के दिनांक पर उपलब्ध बचत | संक्रमित की जाने वाली धनराशि | वित्त विभाग द्वारा संक्रमण हेतु अनुमोदित धनराशि | संक्रमण के पश्चात शेष अनुदान/विनियोग(2-5) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2051-लोक सेवा आयोग-103 कर्मचारी चयन आयोग-आयोजनेत्तर-03-उ0प्र0अधीनस्थ सेवा चयन आयोग-05-स्थानान्तरण यात्रा व्यय(205100103030005) | 01 | 01 | 01 | - | 01 |
| 2051-लोक सेवा आयोग-103 कर्मचारी चयन आयोग-आयोजनेत्तर-03-उ0प्र0अधीनस्थ सेवा चयन आयोग-11-लेखन सामग्री और फार्मो की छपाई (205100103030011) | 15 | 10 | 05 | - | 15 |
| 2051-लोक सेवा आयोग-103 कर्मचारी चयन आयोग-आयोजनेत्तर-03-उ0प्र0अधीनस्थ सेवा चयन आयोग-16-व्यावसायिक और विशेष सेवाओं के लिए भुगतान (205100103030016) | 05 | 05 | 05 | - | 05 |
| 2051-लोक सेवा आयोग-103 कर्मचारी चयन आयोग-आयोजनेत्तर-03-उ0प्र0अधीनस्थ सेवा चयन आयोग-45-अवकाश यात्रा व्यय (205100103030045) | 30 | 30 | 30 | 10 | 20 |
| योग | 51 | 46 | 41 | 10 | 41 |

| निम्नलिखित निधियों से प्रस्तावित संक्रमण | | | | वित्त विभाग द्वारा भरा जायेगा | |
|---|---|---|---|---|---|
| लेखाशीर्ष(15डिजिट कोड में) आयोजनागत | वित्तीय वर्ष के लिए उपलब्ध अनुदान/विनियोग | वित्तीय वर्ष में प्रत्याशित कुल व्यय | संक्रमण हेतु प्रस्तावित धनराशि (9-8) | वित्त विभाग द्वारा अनुमोदित संक्रमण की धनराशि | संक्रमण के पश्चात शेष अनुदान/विनियोग (8+11) |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 2051-लोक सेवा आयोग-103 कर्मचारी चयन आयोग-आयोजनेत्तर-03-उ0प्र0अधीनस्थ सेवा चयन आयोग-15-गाड़ियों का अनुरक्षण एवं पेट्रोल आदि की खरीद 1(205100103030015) | 120 | 130 | 10 | 10 | 130 |
| योग | 120 | 130 | 10 | 10 | 130 |

(1)स्तम्भ-3 में उपलब्ध बचत का कारण निम्नानुसार है :- इस वित्तीय वर्ष में आयोग में कार्यरत किसी भी कर्मचारी द्वारा स्थानान्तरण यात्रा क्लेम न किये जाने लेखन सामग्री मद में मित्व्ययता,व्यावसायिक एवं विशेष सेवाओं के लिए भुगतान का क्लेम न किये जाने के कारण तथा अवकाश यात्रा का उपभोग किसी भी कर्मचारी द्वारा न किये जाने के कारण उपरोक्त मदों में बचत।

(2) स्तम्भ-8 में उल्लिखित अनुदान के सापेक्ष स्तम्भ-9 में अंकित प्रत्याशित व्यय निम्नलिखित कारणों से है :- वाहन के अनुरक्षण/पेट्रोल कीमतों में बढ़ोत्तरी के कारण।
(3) प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त पुनर्विनियोग में उ0प्र0 बजट प्रस्तर-150 व 151 में निर्दिष्ट प्रतिबन्धों/परिसीमाओं का उल्लंघन नहीं होता है।

हस्ताक्षर
नाम व पदनाम (योगेश्वर राम मिश्र)
प्रशासकीय विभाग विशेष सचिव
कार्मिक विभाग,उ0प्र0 शासन।

संख्या-आर.ई.432/ई-5-405/2013 दिनांक 05.03.2014
सेवा में,
महालेखाकार(लेखा एवं हकदारी) प्रथम,उ0प्र0
इलाहाबाद।

(देशराज सिंह)
अनुसचिव,
वित्त विभाग।

संख्या- /47-का-3-13/8/2012/2012,तद्दिनांक-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचानार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- संबंधित विभागाध्यक्ष(नियंत्रक अधिकारी),प्रशासक,उ0प्र0अधीनस्थ सेवा चयन आयोग,लखनऊ।
2- मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी,लखनऊ।
3- निदेशक,वित्तीय सांख्यकीय निदेशालय,जवाहर भवन,लखनऊ।
4- वित्त(आय-व्ययक)अनुभाग-1(तीन प्रतियों में )

हस्ताक्षर
पदनाम- योगेश्वर राम मिश्र,विशेष सचिव
प्रशासकीय विभाग- कार्मिक विभाग,उ0.प्र0 शासन।

## अनुदेश

(1) प्रत्येक अनुदान/विनियोग के अन्तर्गत मतदेय और भारित व्यय से संबंधित पुनर्विनियोगों के लिए अलग-अलग आवेदन प्रस्तुत किये जाने चाहिए।भारिता व्यय से संबंधित प्रस्तावों में लेखाशीर्ष के साथ कोष्ठक में 'शब्द' भारित अंकित कर दिया जाय।
(2) निज लेखा शीर्षों में प्रभाव पड़ेगा उनका वर्णन व्यौरेवार अनुमोनों और अनुदानों में दिये गये वर्णन के अनुरूप होना चाहिए।
(3) कालम-2 तथा 8 में मूल बजट प्रावधान,अनुपूरक प्रावधान और पुनर्विनियोगों की धनराशि व,जो प्रस्तावित पुनर्विनियोग के दिनांक तक अन्तर्गत यथाविधि स्वीकृत हुए हो, को सम्मिलित किया जाय।
(4) प्रपत्र के कालम-5,6 व 11,12 में वित्त विभाग द्वारा स्वीकृत पुनर्विनियोग अंकित किया जायेगा।